न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-02 बयाना, कैम्प रूपबास जिला भरतपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- प्रशांत शर्मा , RJS (डी0 जे0 कैडर)
विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या :- 27/2026
सी.आई.एस. नम्बर :- 57/2026

01. अमरसिंह पुत्र बीरबल, निवासी चचोखर थाना बसई डांग, जिला धौलपुर (राज०)।

-- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक।

--अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 330/2014 पुलिस थाना रूदावल अपराध अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 379, 307 भादंसं, सैशन फौजदारी प्रकरण संख्या 09/2019 बअनुवान सरकार बनाम केदार वगैरह

उपस्थितिः-
01. श्री सुरेन्द्र सिंह परमार, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
02. श्री ओमप्रकाश तिवाडी, अपर लोक अभियोजक - राज्य की ओर से

-: आदेश :-

दिनांकः- 09.03.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गई। केस डायरी पेश हुई।

02. प्रार्थना पत्र से संबंधित, संस्थित प्रकरण के तथ्यों के अनुसार दिनांक 07.09.2014 को प्रार्थी कुमर सिंह द्वारा पुलिस थाना रुदावल में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी, कि दिनांक 06.09.2014 को समय करीब 07.30 बजे गांव नगला तुला के पालक गांव से 02 किलोमीटर पहाड पर खिरकरी पशु अड्डा पर कुमर सिंह, हरप्रसाद,

बच्चू, भीम, बीकेश, प्रेमसिंह, समुंद्र, शंकर, हाकिम, उदय व वीरम खुडासा बाग पर थे, तभी अचानक 14-15 आदमियों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया और आते ही अंधाधुंध फायरिंग की, डण्डों से मारपीट की तथा तीन मोबाईल छीन लिये, जिनमें से एक मोबाईल रामगोपाल के नाम से 9672445270 उदय पर, दूसरा मोबाईल धनरेश के नाम से 8094723907 हाकिम पर थे । इनमें से दो आदमियों को पहचानता था केदार भोलापुरा तथा पूजा नाम की औरत थी । गहरी चोट लगने से कुछ आदमी पहचानने में असमर्थ हैं ।.....इत्यादि पर मु०सं० 330/2014 धारा 143, 323, 341, 379, 307 भादंसं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

03. प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 480 बीएनएसएस विद्वान विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपबास, द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.02.2026 से अस्वीकार कर खारिज किया गया है।

04. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है, कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं होनी है एवं अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है तथा अभियुक्त दिनांक 11.02.2026 से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा हैं। यह भी तर्क रहा है, कि मामले में परिवादी/मजरुब के शरीर पर कोई गम्भीर चोट कारित नहीं हुई हैं, न ही प्रार्थी/अभियुक्त का परिवादी पक्ष को जान से मारने का ही कोई आशय रहा है । आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

06. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी व अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव के गठन का सदस्य होकर परिवादी पक्ष को

अवैध रुप से रोककर उनका सदोष अवरोध कारित कर मजरूबान के साथ सामान्य आशय से स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित कर हत्या करने का का गम्भीर प्रकृति का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में दिनांक 11.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है तथा प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में नामजद नहीं किया गया है । इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा सह अभियुक्तगण केदार पुत्र श्री फैरन सिंह, श्रीमती पूजा पत्नि केदार, निवासी भोला का पुरा थाना बाडी, जिला धौलपुर का जमानत आवेदन एस०बी० क्रिमिनल मिसलेनियस जमानत आवेदन संख्या 14338/2018 दिनांक 09.10.2025, सहअभियुक्त औतार उर्फ रामअवतार पुत्र सुबरन सिंह उर्फ सुखराम, निवासी चचोखर थाना बसई डांग, जिला धौलपुर का जमानत आवेदन एस०बी० क्रिमिनल मिसलेनियस जमानत आवेदन संख्या 3829/2020 दिनांक 01.06.2020, सहअभियुक्त विशाल पुत्र दीवान, निवासी रजई थाना बसई डांग, जिला धौलपुर का जमानत आवेदन एस०बी० क्रिमिनल मिसलेनियस जमानत आवेदन संख्या 20837/2021 दिनांक 09.02.2022 को स्वीकार करते हुये जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस०बी० क्रिमिनल मिसलेनियस जमानत आवेदन संख्या 861/2021 में यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि जहां एक ही प्रकरण की समान परिस्थितियों वाले सह अभियुक्त की जमानत याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, उस स्थिति में जब तक कि आपवादिक या प्रश्नगत अभियुक्त को अन्य अभियुक्त से अलग करने की परिस्थिति विद्यमान नहीं रही हो, तब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सह अभियुक्त को दी गई जमानत के आधार पर प्रश्नगत अभियुक्त भी जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा । प्रार्थी/अभियुक्त का कृत्य सह अभियुक्तगण से गंभीर या भिन्न होना प्रकट नहीं होता है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट होता है ।

-: आदेशः-

07. अतः प्रार्थी/अभियुक्त अमरसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं 50,000/- रूपये का स्वयं का बंधपत्र विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद हर तारीख पेशी पर उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की एक सत्यप्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब भिजवाई जावे ।

(प्रशांत शर्मा)

08. यह आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं सी.आई.एस. पर अपलोड किया गया।

(प्रशांत शर्मा)